Helpline **1064**

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *10 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. दौसा इकाई द्वारा आज बुधवार को सवाईमाधोपुर में कार्यवाही करते हुये प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके प्रतिष्ठान से लिये गये सैंपल पर कोई कार्यवाही नहीं करने तथा होली तक कोई चैंकिग नहीं करने की एवज में प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी दौसा इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश कुमार सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा सवाईमाधोपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रेमचंद जैन पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप जैन निवासी कांतिनगर, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।